संख्या-240/2019/1803/35-4-2019

प्रेषक,

अनिल कुमार यादव,
विशेष सचिव,
नियोजन विभाग ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-4 **लखनऊ दिनांक 19 दिसम्बर,2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपदो को क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत पूँजीगत विकास कार्यो हेतु द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में स्थानीय आवश्यकताओं की तात्कालिकता को देखते हुये विभिन्न विकास कार्यो के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु प्रदेश की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का समग्र सूचकांक के अनुसार प्रदेश के 40 बडे जनपदों में रू. 1.50 करोड़ तथा 35 छोटे जनपदों में रू. 1.00 करोड़ के आधार पर धनराशि स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या-215/2019/1261/35-4-2019 दिनांक 29 मई, 2019 द्वारा (शहरी क्षेत्रो हेतु रू0 15.73 लाख तथा ग्रामीण क्षेत्रो हेतु रू. 63.00 लाख) रू. 78.73 लाख प्रति जनपद की दर से 75 जनपदों हेतु कुल मिलाकर रू. 5904.75 लाख की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये पूर्ण धनराशि जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखी गई है। एतदद्वारा क्रिटिकल गैप्स योजना में जनपदों हेतु अनुमन्य धनराशि की सीमान्तर्गत शहरी विकास हेतु रू. 720.25 लाख तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु रू. 2875.00 लाख अर्थात कुल रू. 3595.25 लाख की धनराशि संलग्नक-1 के विवरणानुसार सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- जनपदों को क्रिटिकल गैप्स योजना के अन्तर्गत पूँजीगत विकास कार्यो हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 29 मई, 2019 में लगाई गई शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।
2- स्वीकृत धनराशि का राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर आहरण कर उपयोग किया जायेगा। ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
3- प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष कार्यो का चयन और कार्यान्वयन शासनादेश संख्या 1191/35-4-2007, दिनांक 26 मार्च, 2008 द्वारा निर्गत मार्गदर्शी सिद्दान्तों के अधीन किया जायेगा, और उक्त शासनादेश के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2020 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुये व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-4 को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिलाधिकारी का होगा। तद्नुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक रूप से प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

6- योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि को स्वीकृत कर पी.एल.ए./ डिपाजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा ।

7- प्रश्नगत मद पर होने वाला व्यय ग्रामीण क्षेत्रो में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमो पर पूॅजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-पूॅजीगत विकास कार्यो के लिये व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य

एवं

शहरी क्षेत्रो में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 लेखाशीर्षक-4217-शहरी विकास पर पूॅजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनायें-800-अन्य व्यय-03-पूॅजीगत विकास कार्यो के लिए व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-2-520/दस-2019-244/2019 दिनांक 29 जुलाई, 2019 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे है ।

संलग्नक- यथोक्त ।

भवदीय,

(अनिल कुमार यादव)
विशेष सचिव ।

संख्या -240/2019/1803(1)/35-4-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज ।
3- अपर मुख्य सचिवएवं वित्त आयुक्त,वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग -5 ।
9- राज्य योजना आयोग अनुभाग -1 ।
10- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (सांख्यिकी) अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश ।
11- समस्त जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश सं0-240/2019/1803(1)/35-4-2019 दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 का संलग्नक-।

(धनराशि लाख रूपयें में)

क्र0सं0	जनपद	ग्रामीण क्षेत्रो हेतु स्वीकृत धनराशि			शहरी क्षेत्रो हेतु स्वीकृत धनराशि		
1	2	3			4		
	लेखाशीर्षक	4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूॅजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-पूॅजीगत विकास कार्यो के लिये व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य			4217- शहरी विकास पर पूॅजीगत परिव्यय-60-अन्य शहरी विकास योजनाये-800-अन्य व्यय-03- पूॅजीगत विकास कार्यो के व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य		
	विवरण	शासनादेश दिनांक 29 मई, 2019 द्वारा आवटित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि	जनपद को अवमुक्त कुल धनराशि	शासनादेश दिनांक 29 मई, 2019 द्वारा आवटित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि	जनपद को अवमुक्त कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	**7**	**8**
1	आगरा	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
2	मैनुपरी	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
3	मथुरा	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
4	फिरोजाबाद	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
5	अलीगढ	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
6	हाथरस	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
7	एटा	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
8	कासगंज	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
9	झांसी	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
10	ललितपुर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
11	जालौन	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
12	हमीरपुर	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
13	चित्रकूट	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
14	बांदा	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
15	महोबा	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
16	लखनऊ	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
17	रायबरेली	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
18	उन्नाव	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
19	हरदोई	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
20	सीतापुर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
21	खीरी	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
22	बरेली	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
23	पीलीभीत	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

24	शाहजहांपुर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
25	बदायूँ	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
26	मेरठ	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
27	बागपत	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
28	बुलन्दशहर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
29	गौतमबुधनगर	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
30	हापुड़	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
31	गाजियाबाद	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
32	सहारनपुर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
33	मुजफ़्फर नगर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
34	शामली	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
35	मुरादाबाद	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
36	रामपुर	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
37	सम्भल	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
38	बिजनौर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
39	अमरोहा	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
40	वाराणसी	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
41	गाजीपुर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
42	चन्दौली	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
43	जौनपुर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
44	मिजार्पुर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
45	संतरविदासनगर भदोही	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
46	सोनभद्र	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
47	गोरखपुर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
48	देवरिया	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
49	महाराजगंज	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
50	कुशीनगर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
51	बस्ती	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
52	संतकबीरनगर	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
53	सिद्धार्थनगर	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
54	आजमगढ़	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
55	मऊ	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
56	बलिया	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
57	प्रयागराज	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
58	कौशाम्बी	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
59	प्रतापगढ	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
60	फतेहपुर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
61	कानपुर नगर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

62	कानपुर देहात	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
63	इटावा	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
64	फरूखाबाद	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
65	कन्नौज	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
66	औरैया	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
67	अयोध्या	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
68	सुल्तानपुर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
69	बाराबंकी	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
70	अम्बेडकरनगर	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
71	अमेठी	63.00	17.00	80.00	15.73	**4.27**	**20.00**
72	गोण्डा	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
73	श्रावस्ती	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
74	बलरामपुर	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
75	बहराइच	63.00	57.00	120.00	15.73	**14.27**	**30.00**
	योग-	**4725.00**	**2875.00**	**7600.00**	**1179.75**	**720.25**	**1900.00**

(कालम संख्या-4 एवं 7 का योग रू. 3595.25 लाख/ रू. पैतीस करोड़ पच्चानवें लाख पच्चीस हजार मात्र)

(अनिल कुमार यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।